निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email - commissionersec@gmail.com
Ph.No. - 0755-2555527

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

–0–

क्रमांक–एफ–52NN–01/2022/पांच/09 भोपाल, दिनांक: 12/01/2022

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : नगरपालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी हेतु प्रकिया एवं समयसारणी।
Subject :Programme and Process of Annual revision 2022 of Photo Electoral Roll for Municipalities.

––00––

1. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–14, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–8 के प्रावधानों के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना है।

2. मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2022 का कार्यक्रम **(परिशिष्ट–एक)** पर संलग्न है। पुनरीक्षण सम्बंधी विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी और अन्य सभी सम्बंधितों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर का चयन किया जाकर आपको सूचित किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा पूर्व में ही जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कृपया वेण्डर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथा आवश्यक सुधार भी कर लें।

4. दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रत्येक नगरपालिका की वार्डवार दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है।

5. समस्त नगरपालिकाओं की दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पन्न की जायेगी। **(मतदाताओं को उनके क्षेत्र अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किया जाकर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। इस हेतु निर्देश, प्रक्रिया एवं समय सारणी पृथक से घोषित की जायेगी।)**

- **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
- **द्वितीय चरण** – विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका वार्ड में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण की कार्यवाही की जाना है।

निरंतर.....02

प्रथम चरण
कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन

6. वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में नगरपालिका, वार्ड और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

8. यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।

9. यदि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदानुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।

10. वर्ष 2020 और 2021 में हुए पुनरीक्षण में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतों के नगरपालिका में शामिल होने के उपरांत भी सम्बंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त पंचायतों की कंट्रोल टेबल को अपडेट नहीं किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को कंट्रोल टेबल को अपडेट कर आवश्यकतानुसार मतदाताओं को डिलीट करने अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) से शिफ्ट (Import) कराने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) से समन्वय करते हुए उचित कार्यवाही इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित करें कि न तो मतदाताओं की डुप्लिकेट शिफ्टिंग हुई हो और न ही कुछ मतदाता शिफ्टिंग के स्थान पर डिलीट हो जायें।

11. कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

द्वितीय चरण
विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

12. इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :–

i. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट करना.

ii. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करना.

iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) के सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड से हटाना.

iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में यथासंशोधित करना.

v. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना।

vi. फोटोरहित जनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।

निरंतर.....03

vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।

viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जन जागरूकता हेतु जिला एवं नगरपालिका स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।

ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

13. वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।

14. शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर की मार्किंग करने के लिए रिक्त ख़ाने बने हुए है।

15. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के ख़ाने में नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर दर्ज करेगा।

16. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

17. शिफ्टिंग सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।

18. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित ख़ाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन

19. वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

20. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

21. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

22. इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में नगरपालिका की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और नगरपालिका की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।

निरंतर.....04

23. **यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से नगरपालिका की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।**

24. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

25. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।

26. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन

27. वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

28. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

29. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

30. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

31. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।

32. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत् प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

33. शिफ्टिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिफ्टिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

निरंतर.....05

34. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

35. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरपालिक निगम क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते है। इन क्षेत्रों में भी शिफ्टिंग के विवाद सम्बंधी मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

36. विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिफ्ट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिफ्ट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

37. कुछ विधानसभा क्षेत्र दो-दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-78 और 82 सीधी-सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-167 आगरमालवा-शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-193 झाबुआ-अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-23 शिवपुरी-दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिफ्टिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

38. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :-

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
- सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
- कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
- शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
- स्टेंडिग कमेटी की बैठक का आयोजन करना ।
- वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समय सीमा में निराकरण कराना।

39. राजनैतिक दलों की सहभागिता हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-7/2009/तीन/832 दिनांक 27.08.2009 के निर्देशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

40. गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

41. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम (**परिशिष्ट-एक**) अनुसार नगरपालिका की मतदाता सूची दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।

निरंतर.....06

42. मतदाता सूची तैयार करने की प्रकिया के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण (रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका) पुस्तिका एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

43. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जारी गाइड लाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

44. पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई–मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(बी0एस0जामोद)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल, दिनांक 12/01/2022

पृष्ठा. क्रमांक–एफ–52NN–01/2022/पांच/10
प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रलाय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय, शिवाजी नगर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
10. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. पुलिस महानिदेशक,मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
12. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
13. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
14. आयुक्त–सह–नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
15. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
17. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
18. संयुक्त संचालक (बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
19. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
20. व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
21. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
22. गार्ड फाईल।

(अरूण परमार) 12/01/2022
उप सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

परिशिष्ट–एक

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011

–0–

भोपाल, दिनांकः 12/01/2022

क्रमांक–एफ–52NN–01/2022/पांच/08 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–3 एवं 8 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन हेतु 01 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित करता है।

प्रारंभिक तैयारी (प्रशिक्षण एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियाँ)			
क्रमांक	**कार्यवाही**	**उत्तरदायित्व**	**समयसीमा (अंतिम तारीख)**
1.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)।	राज्य निर्वाचन आयोग	14 जनवरी, 2022
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति और जिला स्तरीय प्रशिक्षण।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	14 जनवरी 2022 से 17 जनवरी, 2022 तक
3.	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण, प्राधिकृत कर्मचारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य समस्त संबंधितों का प्रशिक्षण।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
4.	भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में तैयार अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की एक प्रति (अनुपूरक सूचियों सहित) जिला निर्वाचन कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त करना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	17 जनवरी, 2022
प्रथम चरण (कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन, अपडेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण)			
क्रमांक	**कार्यवाही**	**उत्तरदायित्व**	**समयसीमा (अंतिम तारीख)**
5.	**कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।**	**वेण्डर**	20 जनवरी, 2022
6.	कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नगरपालिका के लिए आयुक्त, नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	21 जनवरी, 2022
7.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना।	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	22 जनवरी, 2022
8.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उन्हें अंतिम करना और कंट्रोल टेबल में यथासंशोधित करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	24 जनवरी, 2022
9.	कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना और संशोधन होने पर निर्देशानुसार यथोचित हस्ताक्षर करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	27 जनवरी, 2022
10.	कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	28 जनवरी, 2022

द्वितीय चरण (प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना)			
क्रमांक	कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समयसीमा (अंतिम तारीख)
11.	**शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS से जेनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।**	**वेण्डर**	01 फरवरी, 2022
12.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	03 फरवरी, 2022
13.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	प्राधिकृत कर्मचारी	07 फरवरी, 2022
14.	**शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं वेरिफिकेशन।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	11 फरवरी, 2022
15.	**शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन करना और बैठक का कार्यवाही विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।**	**कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**	14 फरवरी, 2022
16.	शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार यथोचित कार्यवाही करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	15 फरवरी, 2022
17.	मार्कड शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	17 फरवरी, 2022
18.	शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही ERMS के माध्यम से पूर्ण कर चैकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	वेण्डर	18 फरवरी, 2022
19.	चैकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	21 फरवरी, 2022
20.	**त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण किया जाना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर**	

(बी0एस0जामोद)
सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग